

न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद
जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक : 972 / 2006

संस्थापन दिनांक 19.09.2006

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना मालनपुर जिला भिण्ड
म.प्र.

— अभियोजन

बनाम

1—केदार पुत्र सुल्तान रावत उम्र 25 साल निवासी ग्राम
जखा थाना घाटीगांव जिला ग्वालियर

— अभियुक्त

निर्णय

(आज दिनांक.....को घोषित)

1. उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध धारा 279, 338, 337 भा.द.स. के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 08.07.06 को रात 12:05 बजे भदौरिया होटल के सामने मालनपुर जिला भिण्ड पर जीप क्रमांक एम.पी.-07-एच. 9264 को सार्वजनिक स्थान पर उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया तथा उक्त वाहन का उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण परिचालन कर रामवरन अ0सा02 को घोर उपहति कारित की तथा घनश्याम अ0सा03, चिन्ताराम (मृत), राजू सूखा अ0सा04, रतनलाल अ0सा01 को उपहति कारित की।
2. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 08.07.06 को जब फरियादी राजू ड्यूटी पर जा रहा था तब भदौरिया होटल के सामने मालनपुर जिला भिण्ड पर ग्वालियर की ओर से जीप क्रमांक एम.पी.-07-एच.9264 जिसमें चिन्ताराम, रामवरन अ0सा02, सूखा अ0सा04, रतनलाल अ0सा01 और घनश्याम अ0सा03 कुशवाह बैठे थे, को आरोपी केदार तेजी व लापरवाही से उपेक्षापूर्वक चलाकर आया और राजू को टक्कर मार दी फिर खड़े ट्रक में टक्कर मार दी जिससे उसे व जीप में बैठी उक्त सवारियों को चोटें आईं। जीप क्षतिग्रस्त हो गयी इसलिए चालक आरोपी जीप को मौके पर ही छोड़कर चला गया। तत्पश्चात फरियादी राजू की रिपोर्ट पर से थाना मालनपुर में अप0क0 82/06 पर प्रथम

सूचना रिपोर्ट दर्ज कर मामला विवेचना में लिया गया और संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होने से अभियोगपत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

3. आरोपी ने अपराध विवरण की विशिष्टियों को अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है। आरोपी की प्रतिरक्षा है कि उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है बचाव में साक्षी उदयसिंह ब0सा01 को परीक्षित कराया गया है।
4. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न है कि :-
 1. क्या आरोपी ने दिनांक 08.07.06 को रात 12:05 बजे भदौरिया होटल के सामने मालनपुर जिला भिण्ड पर जीप क्रमांक एम.पी.-07-एच.9264 को सार्वजनिक स्थान पर उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया ?
 2. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन का उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण परिचालन कर रामवरन अ0सा02 को घोर उपहति कारित की ?
 3. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन का उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण परिचालन कर घनश्याम अ0सा03, चिन्ताराम, राजू, सूखा अ0सा04, रतनलाल अ0सा01 को उपहति कारित की ?

// विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 लगायत 03 का सकारण निष्कर्ष //

5. साक्षी रतनलाल अ0सा01 ने कथन किया है कि वर्ष 2006 में वह जीप जिसे साक्ष्य के दौरान उपस्थित आरोपी केदार चला रहा था, से गोहद आ रहे थे। तब मालनपुर पर भदौरिया होटल के पास उनका एक्सीडेंट हो गया था क्योंकि आरोपी केदार जीप को शराब पीकर लहराते हुए 50-100 की गति से चला रहा था। आरोपी ने राजू को टक्कर मारी जो साइकिल पर था, फिर ट्रक में टक्कर मारी। आरोपी जीप को तेजी व लापरवाही से चला रहा था। केदार ने खड़े ट्रक में टक्कर मार दी थी। टक्कर लगने से उसके हाथ में चोट आई। उसके साथ रामवरन अ0सा02, सूखा अ0सा04, चिन्ताराम, व एक अन्य सवारी और थी। रामवरन अ0सा02 के हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, सूखाराम अ0सा04 को घुटने व हाथ में चोट आई थी। चिन्ताराम को भी चोटें आई थीं। उसके बाद उनका उपचार हुआ था। उसे याद नहीं है कि आरोपी का जीप क्रमांक एम.पी.-07-एच.9264 था।
6. रामवरन अ0सा02 ने कथन किया है कि वह साक्ष्य के दौरान उपस्थित आरोपी केदार को जानता है। वर्ष 2006 में आधे आषाढ़ में वह जीप से दबोह से गोहद जा रहा था जिसे आरोपी केदार चला रहा था आरोपी गाड़ी को कभी इस ओर कभी उस ओर चला रहा था। ग्वालियर में तीन घण्टे का जाम लग गया था इसलिए वह गाड़ी को अपने दिमाग से ही चला रहा था उन्होंने धीरे चलाने को कहा था लेकिन आरोपी नहीं माना। तब मालनपुर में थाने के आगे होटल के पास एक व्यक्ति की साइकिल में उसने टक्कर मार दी इसके बाद आरोपी ने खड़े डम्पर में पीछे से टक्कर मार दी। आरोपी जीप को जोर से लापरवाही से चला रहा था लेकिन उसे स्पीड का अंदाजा नहीं है। उसे जीप का नंबर याद नहीं है। जीप में चिन्ताराम, सूखा अ0सा04, रतनलाल अ0सा01, घनश्याम अ0सा03 और वह स्वयं था। दुर्घटना में उसका दाहिना हाथ टूट गया था और पैर में भी चोट आई थी।

अन्य सवारियों को भी चोट आई थी।

7. घनश्याम अ0सा03 ने कथन किया है कि वह आरोपी केदार को पहचानता है। दिनांक 27.09.16 से सात वर्ष पूर्व आषाढ़ महीने में वह जीप से गोहद जा रहा था जिसे आरोपी केदार चला रहा था। उन्होंने आरोपी से धीरे चलाने को कहा। मालनपुर में एक साइकिल वाला जा रहा था और दूसरी तरफ ट्रक खड़ा था तो उनकी जीप ने ट्रक में टक्कर मार दी जिससे उसके बांये कंधे में चोट आई थी। गाड़ी में उसका हाथ उतर गया था और सूखा अ0सा04 के हाथ व पांव में चोट आई थी। उसे याद नहीं है कि जीप का नंबर एम.पी.-07-एच.9264 था।
8. सूखा अ0सा04 ने कथन किया है कि वह आरोपी केदार को नहीं जानता है ना ही पहचानता है। वर्ष 2006 में वह एक जीप से डस्टोन में जा रहा था। उसे जीप का नंबर याद नहीं है। उसे कौन चला रहा था यह भी नहीं मालूम। तब जीप ने एक ट्रक में टक्कर मार दी थी जिससे उसे व अन्य गाड़ी वालों को चोट आई थी। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि दिनांक 08.07.06 को आरोपी केदार ने जीप क्रमांक एम.पी.-07-एच.9264 को तेजी व लापरवाही से चलाकर राजू में टक्कर मारकर ट्रक में टक्कर मारी जिससे उसे, रामवरन अ0सा02, रतनलाल अ0सा01, और घनश्याम अ0सा03 को चोटें आईं और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 द. प्र.स. प्र0पी-1 में भी दिए जाने से इंकार किया है।
9. साक्षी डॉ० आलोक शर्मा अ0सा05 ने कथन किया है कि वह दिनांक 08.07.06 को सी.एच.सी. गोहद में मेडीकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ था उक्त दिनांक को थाना मालनपुर के आरक्षक फारुख खान द्वारा लाये जाने पर आहत रामवरन अ0सा02 पुत्र रामकिशन का परीक्षण करने पर दांये कंधे में विकृति पाई थी तथा चोट के एक्सरे की सलाह दी थी। उसके अभिमत अनुसार यह चोट कड़े एवं भौथरी वस्तु से आना संभावित थी तथा परीक्षण के 12 घण्टे के भीतर की है। चोट का प्रकार एक्सरे के आधार पर दिया जायेगा। मेडीकल रिपोर्ट प्र0पी-2 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसी दिनांक को उसने आहत घनश्याम अ0सा03 पुत्र रतीराम का परीक्षण करने पर सीने में चोट तथा दर्द की शिकायत पाई थी जिसके एक्सरे की सलाह दी थी। उसके अभिमत अनुसार यह चोट कड़े एवं भौथरी वस्तु से आना संभावित थी तथा परीक्षण के 12 घण्टे के भीतर की है। चोट का प्रकार एक्सरे के आधार पर दिया जायेगा। मेडीकल रिपोर्ट प्र0पी-3 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसी दिनांक को उसने आहत चिन्ताराम पुत्र रोशनलाल का परीक्षण करने पर सिर में 6गुणा0.3गुणा0.2से.मी. का फटा हुआ घाव पाया था जो साधारण प्रकृति का होकर कड़ी एवं भौथरी वस्तु से आना संभावित था तथा परीक्षण के 12 घण्टे के भीतर का था। मेडीकल रिपोर्ट प्र0पी-4 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसी दिनांक को उसने आहत राजू पुत्र जनकसिंह का परीक्षण करने पर सीने में दांयी तरफ 3गुणा2से.मी. का नील का निशान पाया था जिसके एक्सरे की सलाह दी थी। उसके अभिमत अनुसार यह चोट कड़े एवं भौथरी वस्तु से आना संभावित थी तथा परीक्षण के 12 घण्टे के भीतर की है। चोट का प्रकार एक्सरे के आधार पर दिया जायेगा। मेडीकल रिपोर्ट प्र0पी-5 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

10. साक्षी डॉ० आलोक शर्मा अ०सा०५ ने कथन किया है कि उसने उसी दिनांक को आहत सुक्खा अ०सा०४ पुत्र सीताराम का परीक्षण करने पर निम्न चोटें पाई थीं। चोट नं०१ बांये बखा पर ४गुणा४से.मी. का छिले का घाव था। चोट नं०२ सिर में दांयी तरफ ३गुणा२से.मी. का छिले का घाव था। चोट नं०३ बांये कूल्हे पर ३गुणा२से.मी. का छिले का घाव था। चोट नं०४ बांये टखने पर ३गुणा२से.मी. का छिले का घाव था। चोट नं०५ दांये हाथ में ४गुणा४से.मी. का छिले का घाव था। उसके अभिमत अनुसार यह चोटें साधारण प्रकृति की होकर कड़े एवं भौथरी वस्तु से आना संभावित है तथा परीक्षण के १२ घण्टे के भीतर की हैं मेडीकल रिपोर्ट प्र०पी-६ है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसी दिनांक को आहत रतनलाल अ०सा०१ पुत्र महाराजसिंह का परीक्षण करने पर निम्न चोटें पाई थीं। चोट नं०१ बांयी जांघ पर ४गुणा३से.मी. का नील का निशान था। चोट नं०२ बांयी कोहनी पर २गुणा१से.मी. का छिले का घाव था। उसके अभिमत अनुसार यह चोटें साधारण प्रकृति की होकर कड़े एवं भौथरी वस्तु से आना संभावित है तथा परीक्षण के १२ घण्टे के भीतर की हैं। मेडीकल रिपोर्ट प्र०पी-७ है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।
11. साक्षी डॉ० आलोक शर्मा अ०सा०५ ने कथन किया है कि उसने उसी दिनांक को आहत राजू कुशवाह का एक्सरे परीक्षण किया गया जिसमें कोई अस्थिभंग नहीं पाया था। एक्सरे रिपोर्ट प्र०पी-८ है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसी दिनांक को आहत रामवरन अ०सा०२ का एक्सरे परीक्षण करने पर दांयी ह्यूमरस हड्डी में अस्थिभंग होना पाया था एक्सरे रिपोर्ट प्र०पी-९ है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।
12. प्रकरण में आहत चिन्ताराम, की मृत्यु होने के परिणामस्वरूप अभियोजन उसे परीक्षित कराने में असमर्थ रहा है और आहत राजू को भी अभियोजन साक्ष्य में उपस्थित नहीं रख सका है। रतनलाल अ०सा०१, रामवरन अ०सा०२ और घनश्याम अ०सा०३ ने मुख्यपरीक्षण में दुर्घटना के समय आरोपी केदार द्वारा वाहन चलाया जाना बताया है। लेकिन उक्त तीनों ही साक्षीगण ने दुर्घटना के समय जीप क्रमांक एम.पी.-०७-एच.९२६४ को ही आरोपी द्वारा चलाये जाने के संबंध में स्पष्ट कथन नहीं किया है। रामवरन अ०सा०२ ने पैरा ५ में कथन किया है कि उसने जीप का नंबर भी पुलिस को नहीं बताया।
13. उदयसिंह ब०सा०१ ने कथन किया है कि जीप क्रमांक एम.पी.-०७-एच.९२६४ का वह वाहन स्वामी है। उसे केदार नहीं चलाता और केदार ने उसके यहां कभी ड्राइवरी भी नहीं की और उक्त वाहन को पहले होतम चलाता था। इस साक्षी के प्रतिपरीक्षण में भी ऐसा कोई तथ्य स्पष्ट नहीं हुआ है कि उसने आरोपी केदार को वाहन चलाने हेतु दिया था। लेकिन प्रतिपरीक्षण में कथन किया है आरोपी होतम गाड़ी लेकर गया था और बाद में किसी दूसरे व्यक्ति को दे दी हो तो उसे जानकारी नहीं है। अतः वाहन स्वामी ने अभियोजित जीप क्रमांक एम.पी.-०७-एच.९२६४ आरोपी द्वारा चलाये जाने से इंकार किया है।
14. अतः प्रकरण में दुर्घटना वाहन क्रमांक एम.पी.-०७-एच.९२६४ से कारित की गयी, इस संबंध में सभी प्रत्यक्ष आहत साक्षीगण ने अनभिज्ञता व्यक्त की है जबकि उनके द्वारा धारा १६१ द.प्र.स. में दिए कथन में उक्त वाहन क्रमांक एम.पी.-०७-एच.९२६४ से ही दुर्घटना घटित होना उल्लिखित है। उक्त वाहन क्रमांक एम.पी.-०७-एच.९२६४ के स्वामी उदयसिंह ब०सा०१ द्वारा भी स्वयं के वाहन से दुर्घटना

कारित होना नहीं बतायी गयी है। अतः अभियोजन मामले में उल्लिखित वाहन क्रमांक एम.पी.-07-एच.9264 से दुर्घटना होना प्रमाणित नहीं होती है।

15. अभियोजन का मामला प्रत्यक्ष साक्ष्य पर निर्भर है। घटना के समय राजू के अतिरिक्त सभी आहतगण एक साथ जीप में होना वर्णित हैं। रतनलाल अ0सा01 ने पैरा 4 में बताया है कि दुर्घटना कारित करने वाली जीप उसके गांव से रोज ग्वालियर जाती है जिसे आरोपी केदार चलाता है और आरोपी केदार रोज उसके गांव में आता है इसलिए वह परिचित था। अतः इस साक्षी के कथन से प्रतीत होता है कि वह पूर्व से ही आरोपी से परिचित था। जबकि इस साक्षी द्वारा दिए गए पुलिस कथन प्र0डी-1 में आरोपी केदार द्वारा घटना के समय गाड़ी चलाया जाना उल्लिखित नहीं है। अतः जबकि रतनलाल अ0सा01 पूर्व से आरोपी से परिचित था तब भी एफ.आई.आर. और विवेचना के चरण पर भी उसके द्वारा आरोपी का नाम कथन प्र0पी-1 में स्पष्ट न किया जाना अस्वाभाविक है। रामवरन अ0सा02 ने पैरा 3 में बताया है कि वह केदार को पहले से जानता था क्योंकि केदार ग्राम दुवा में सवारी जीप चलाता था और सूखा अ0सा04 ने जीप किराये पर की थी। अतः रामवरन अ0सा02 भी पूर्व से आरोपी से परिचित था परन्तु उसके द्वारा भी विवेचना के चरण पर यह तथ्य स्पष्ट नहीं किया गया है कि घटना के समय आरोपी ही वाहन को चला रहा था जोकि अस्वाभाविक है। अतः दोनों आहतगण रतनलाल अ0सा01 वह रामवरन अ0सा02 ने प्रथम बार न्यायालय में आरोपी केदार को पूर्व से परिचित होने के आधार पर केदार के द्वारा ही दुर्घटना कारित करना बताया है लेकिन विवेचना के चरण में वह मौन रहे हैं कि उनके परिचित केदार ने दुर्घटना कारित की है।
16. घनश्याम अ0सा03 ने पैरा 4 में बताया है कि जब वह थाने पर पहुंचा था तब केदार का नाम बताया जा रहा था और तभी केदार के नाम की जानकारी हुई थी और पैरा 5 में बताया है कि वह केदार को नहीं जानता है और उसने साक्ष्य से पहले कभी केदार को नहीं देखा और साक्ष्य के दौरान उपस्थित आरोपी केदार को वह पहली बार देख रहा है। अतः घनश्याम अ0सा03 जोकि घटना के समय रामवरन अ0सा02 और रतनलाल अ0सा01 के साथ ही जीप में बैठा था, ने न्यायालयीन साक्ष्य में आरोपी केदार द्वारा दुर्घटना के समय जीप चलाये जाने के तथ्य से इंकार किया है और केदार का नाम भी उसे मात्र थाने पर ज्ञात होना बताया है। सूखा अ0सा04 जिसके द्वारा कि रामवरन अ0सा02 के कथनानुसार जीप किराये पर ली गयी है, ने न्यायालयीन साक्ष्य में आरोपी केदार द्वारा ही जीप चलाये जाने के तथ्य से इंकार किया है।
17. अतः जीप में बैठे चार आहतगण में से दो आहतगण घनश्याम अ0सा03 व सूखा अ0सा04 आरोपी केदार द्वारा जीप चलाये जाने से इंकार करते हैं लेकिन अन्य दो आहतगण रामवरन अ0सा02 व रतनलाल अ0सा01 केदार द्वारा ही जीप चलाना बता रहे हैं। रामवरन अ0सा02 और रतनलाल अ0सा01 उक्त तथ्य प्रथम बार न्यायालय में बता रहे हैं जबकि वह केदार से पूर्व से परिचित थे। अतः उक्त तथ्य रामवरन अ0सा02 व रतनलाल अ0सा01 की पश्चावर्ती सोच प्रकट करता है और रामवरन अ0सा02 व रतनलाल अ0सा01 द्वारा आरोपी केदार की पहचान के संबंध में दिए कथन अन्य आहतगण के विरोधाभासी कथन के आलोक में और उन्हीं के पूर्ववर्त मौखिक कथन के आलोक में विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते हैं।

18. रतनलाल अ0सा01 ने पैरा 3 में बताया है कि वह शाम को 6-7 बजे अपने गांव दुवा थाना करैरा से चले थे तब नयागांव पर होटल पर पांच घण्टे आरोपी ने गाड़ी खड़ी करके, होटल पर शराब पी थी और पैरा 4 में बताया है कि उसने पुलिस कथन प्र0डी-1 में आरोपी द्वारा शराब पिये जाने की बात लिखाई थी। जबकि कथन प्र0डी-1 में इस आशय का कोई तथ्य उल्लिखित नहीं है जिस पर ध्यान आकर्षित कराये जाने पर वह कारण बताने में असमर्थ रहा है। रामवरन अ0सा02 ने पैरा 2 में कथन किया है कि वह गांव से चलकर पहले होटल पर रुके थे जहां डाइवर ने खाना खाया था। होटल पर वह आधा घण्टे रुके थे।
19. अतः रतनलाल अ0सा01 आरोपी का होटल पर शराब पीना बता रहा है जबकि रामवरन अ0सा02 आरोपी का होटल पर मात्र खाना खाता बता रहा है और होटल पर आरोपी के रुकने की अवधि के संबंध में भी दोनों साक्षीगण ने बिल्कुल अलग-अलग समय बताये हैं जोकि तात्विक विरोधाभास स्पष्ट करता है और अगर रामवरन अ0सा02 द्वारा वर्णित पांच घण्टे के समय पर विश्वास किया जाये तो अभियोजित घटना के समय की ही संपुष्टि नहीं होती है और 6-7 बजे ग्राम दुवा से चलकर पांच घण्टे नयागांव में गाड़ी रोकने के पश्चात फिर मालनपुर पहुंचना और 12 बजे दुर्घटना होना, अभियोजित घटना समय पर दुर्घटना होना असंभव बनाता है। अतः रामवरन अ0सा02 द्वारा असत्य और अस्वाभाविक अतिरंजनापूर्ण कथन दिए गए हैं।
20. रतनलाल अ0सा01 ने पैरा 4 में बताया है कि उसने पुलिस चौकी पर गाड़ी रूकवाकर यह नहीं बताया कि आरोपी शराब पीकर गाड़ी चला रहा है। रामवरन अ0सा02 ने पैरा 4 में कथन किया है कि आरोपी ने ग्वालियर की गोल पहाड़ी से जीप तेजी व लापरवाही से चलाई थी लेकिन उन्होंने मालनपुर पर या किसी चौराहे पर किसी भी चौकी पर खड़ी पुलिस को आरोपी द्वारा तेजी लापरवाही से गाड़ी चलाने वाली बात नहीं बतायी और ना ही पुलिस ने उसे रोका। अतः दोनों साक्षीगण यद्यपि आरोपी द्वारा उपेक्षापूर्वक वाहन चलाया जाना बता रहे हैं परन्तु वाहन में दुर्घटना कारित होने की संभावना के उपरांत भी पर्याप्त अवधि तक बैठा रहना और सक्षम अधिकारी से कोई शिकायत न करना मानवीय आचरण के सामान्य अनुक्रम में धारा 114 साक्ष्य अधिनियम के अधीन अस्वाभाविक है।
21. रामवरन अ0सा02 ने पैरा 4 में बताया है कि वह थाने पर करीब साढ़े चार बजे पहुंच गये थे और पैरा 4 में बताया है कि चोट की वजह से वह होश में नहीं था और गोहद अस्पताल में उसे होश आया था। घनश्याम अ0सा03 ने पैरा 4 में बताया है कि वह थाने पर करीब साढ़े तीन चार बजे आ गये थे और पैरा 4 में बताया है कि वह पुलिसवालों की गाड़ी में गोहद अस्पताल आये थे वहां से पांच बजे निकल गये थे और उन्होंने पहले ही रिपोर्ट कर दी थी। जबकि एफ.आई.आर. के अनुसार घटना के 25 मिनट बाद ही रात 12:30 बजे एफ.आई.आर. दर्ज कर दी गयी थी जिसमें सभी आहतगण के बारे में तथ्य उल्लिखित हैं।
22. अभियोजन के किसी भी साक्षी ने घटना की स्पष्ट दिनांक नहीं बतायी है लेकिन अभियोजन मामले के अनुसार घटना दिनांक 08.07.06 की है और उक्त दिनांक को ही थाना मालनपुर में अपराध की कायमी की गयी है और डॉ० आलोक शर्मा अ0सा05 ने भी दिनांक 08.07.06 को ही आहतगण का चिकित्सीय परीक्षण किया है। लेकिन आहतगण के मुलाहिजा फार्म प्र0पी-2 लगायत 7 में दिनांक

07.07.06 को ही थाना प्रभारी मालनपुर द्वारा मुलाहिजा फार्म भरकर आहतगण को उपचार हेतु भेजा गया है। रामवरन अ0सा02 ने पैरा 4 में बताया है कि घटनास्थल पर पुलिस आई थी जो उन्हें थाने पर ले गयी थी। अतः जबकि आहतगण घटनास्थल से सीधे थाने गये हैं और थाने पर असल अपराध कायम किया गया है तब अभियोजित घटना के एक दिवस पूर्व ही आहतगण का मुलाहिजा फार्म भरकर चिकित्सीय परीक्षण हेतु भेजा जाना महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न करता है और उक्त त्रुटि सभी पांच चिकित्सीय परीक्षण प्रतिवेदन में है इसलिए उसे लिपिकीय भूल नहीं माना जा सकता है। अतः घटना के पूर्व ही आहतगण का मुलाहिजा फार्म प्र0पी-2 लगायत 7 विरचित किया जाना संदेहास्पद है।

23. रतनलाल अ0सा01 ने पैरा 4 में कथन किया है कि वह ग्वालियर से मालनपुर के लिए नहीं बैठा था और पैरा 3 में बताया है कि वह ग्राम दुवा थाना करैया से बैठा था। जबकि पुलिस कथन प्र0डी-1 में ग्वालियर से मालनपुर जाने के लिए रतनलाल अ0सा01 का जीप में बैठना उल्लिखित है उक्त विरोधाभास पर ध्यान आकर्षित कराये जाने पर उक्त तथ्य इस साक्षी ने गलत अंकित होना बताया है। रामवरन अ0सा02 ने पैरा 2 में कथन किया है कि वह गांव से 7 बजे पांच लोग इकट्ठा होकर चले थे। घनश्याम अ0सा03 ने भी प्रतिपरीक्षण में यही बताया है कि वह ग्राम करैया से तीन कोस दूर स्थित ग्राम दुवा गया था और वहां से वह जीप से मालनपुर के लिए चले थे। उक्त तीनों ही साक्षीगण ने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि रतनलाल अ0सा01 की बहन के यहां गोहद में डस्टोन का कार्यक्रम था जिसमें सम्मिलित होने वह जा रहे थे। अतः तीनों ही आहतगण रतनलाल अ0सा01, घनश्याम अ0सा03 व रामवरन अ0सा02 गांव से गोहद जाना बताया है। लेकिन रतनलाल अ0सा01 के कथन प्र0डी-1 में केवल मालनपुर तक जाना उल्लिखित है जिस विरोधाभास पर ध्यान आकर्षित कराये जाने पर वह कारण बताने में असमर्थ रहा है। अतः जबकि रतनलाल अ0सा01 के पारिवारिक कार्यक्रम में ही सम्मिलित होने सभी आहतगण जा रहे थे तब उक्त विरोधाभास तात्त्विक विरोधाभास की श्रेणी में आता है।

24. रतनलाल अ0सा01 ने पैरा 5 में कथन किया है कि वह नहीं बता सकता कि घटना में राजू को कहां-कहां चोटें आई थीं। रामवरन अ0सा02 ने पैरा 5 में बताया है कि उसने पुलिस को नहीं बताया था कि राजू में टक्कर मार दी थी और स्वतः कहा कि साइकिल वाले में टक्कर लगी थी जिसका नाम वह नहीं जानता। घनश्याम अ0सा03 ने पैरा 5 में बताया है कि वह साइकिल वाले का नाम नहीं जानता था। अतः रतनलाल अ0सा01, रामवरन अ0सा02 व घनश्याम अ0सा03 तीनों ने ही राजू को उपहति कारित होने के संबंध में कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं दी है। चिकित्सीय रिपोर्ट प्र0पी-5 के अनुसार आहत राजू के मात्र एक खरोंच थी। आहत राजू का अभियोजन ने परीक्षण नहीं कराया है। अतः राजू की उपहति भी अभियोजन साक्ष्य से प्रमाणित नहीं होती है।

25. रतनलाल अ0सा01 ने पैरा 5 में बताया है कि खड़े ट्रक का रंग लाल था जिसका मुंह ग्वालियर की तरफ था। वह ट्रकों की लाइट में भी ट्रक को नहीं देख पाया था। रामवरन अ0सा02 ने भी पैरा 4 में कथन किया है कि वह डम्पर व ट्रक का रंग नहीं बता सकता। प्रकरण में जिस ट्रक में आरोपी द्वारा टक्कर मारे जाने का आक्षेप है उसके संबंध में कोई तथ्य अभियोजन द्वारा स्पष्ट नहीं किए गए हैं।

26. अतः उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना से दुर्घटना वाहन क्रमांक एम.पी.-07-एच.9264 से होना प्रमाणित नहीं होती है। प्रत्यक्ष साक्षी के रूप में दुर्घटना के समय आरोपी केदार ही वाहन चला रहा था इस संबंध में उपरोक्त विवेचना अनुसार आहतगण की साक्ष्य विश्वसनीय व निर्भर रहने योग्य प्रमाणित नहीं हुई है। घटना के समय आरोपी द्वारा मदिरापान कर वाहन चलाये जाने के बारे में प्रथम बार न्यायालयीन साक्ष्य में रतनलाल अ0सा01 ने अतिरंजनापूर्ण साक्ष्य दी है और घटना के समय के संबंध में भी रतनलाल अ0सा01 व रामवरन अ0सा02 के कथन विरोधाभासी हैं। आहतगण का चिकित्सीय परीक्षण भी घटना के पूर्व ही प्रस्तावित किया गया है जो अभियोजन मामले की विश्वसनीयता प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। आहतगण का आचरण भी दुर्घटना संभावित वाहन में परिवहन कर अस्वाभाविक रहा है। उपरोक्त संपूर्ण तथ्य अभियोजन मामले को संदेहास्पद बनाते हैं। जिसके परिणामस्वरूप अभियोजन अपना मामला युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करने में असफल रहता है।
27. अतः अभियोजन साक्ष्य की विवेचना से यह युक्तियुक्त संदेह के परे सिद्ध नहीं होता है कि आरोपी ने दिनांक 08.07.06 को रात 12:05 बजे भदौरिया होटल के सामने मालनपुर जिला भिण्ड पर जीप क्रमांक एम.पी.-07-एच.9264 को सार्वजनिक स्थान पर उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया तथा उक्त वाहन का उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण परिचालन कर रामवरन अ0सा02 को घोर उपहति कारित की तथा घनश्याम अ0सा03, चिन्ताराम (मृत), राजू, सूखा अ0सा04, रतनलाल अ0सा01 को उपहति कारित की।
28. परिणामतः आरोपी को धारा 279, 338, 337 भा.द.स. के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।
29. आरोपी के जमानत व मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।
30. प्रकरण में जप्त वाहन क्रमांक एम.पी.-07-एच.9264 पूर्व से आवेदक उदयसिंह की सुपुर्दगी में है। अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात उन्मोचित समझा जाये और अपील होने की दशा में अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जाये।

दिनांक :-

सही / -

(गोपेश गर्ग)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड म0प्र0